75

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

समक्ष : **<u>मनोज गोयल</u>**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2820-पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 29-6-16 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, पेटलावद जिला झाबुआ प्रकरण क्रमांक 25/अपील/2015-16

---

1. भगवानीया पिता पुना भूरिया भील
2. रामचन्द्र पिता पुना भूरिया भील
3. नानकिया पिता पुना भूरिया भील
4. सुखराम पिता पुना भूरिया भील

निवासीगण पत्थरपाड़ा (छोटा बोलासा)

तहसील पेटलावद ....आवेदकगण

<u>विरूद्ध</u>

1. लीला बाई पिता लिमजी भूरिया भील
2. रूपाबाई पिता लिमजी भूरिया भील ....अनावेदकगण

श्री रूचिर पाराशर, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

<u>:: आ दे श ::</u>

(आज दिनांक 19/6/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा पारित दिनांक 29-6-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार टप्पा तहसील सारंगी, तहसील पेटलावद द्वारा प्रकरण क्रमांक 57/अ-27/13-14 में पारित आदेश दिनांक 22-9-2014 के विरूद्ध विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 15-12-14 को विलम्ब से प्रस्तुत की गई । चूंकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 25/अपील/2015-16 दर्ज कर दिनांक 29-6-2016 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अनावेदकगण द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कोई विचार नहीं किया गया है।

(2) अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के अवधि विधान की धारा 5 का जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें दिनांक 29.06.2016 को नामांतरण पंजी में किये गये आदेश की जानकारी दिनांक 22.09.2014 की प्रकरण की बंटवारा स्वीकृत किया गया तब जानकारी होना दर्शित किया गया है, जबकि प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में ही दिनांक 13.03.1990 को नामांतरण आदेश को अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में जानकारी दिनांक वर्ष 2012 में राजस्व नकल निकालने पर ज्ञात होना बताया है, जो कि अनावेदकगण के दुर्भावनापूर्ण आशय को स्पष्ट रूप से दर्शित करता है तथा न्यायालय को भी गुमराह कर उससे आलोच्य आदेश पारित करवाया गया है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रचलन योग्य है अथवा नहीं इस महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान दिये बिना ही मात्र इस आधार पर की अनावेदकगण स्व. लिमजी के वैध वारिस होने से उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने के कारण अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है, जबकि वास्तविकता यह थी कि प्रश्नाधीन भूमियां मूल पुरूष पुनाजी के एकमात्र स्वामित्व व आधिपत्य की थी जिनके चार पुत्र क्रमशः आवेदकगण रहे हैं तथा एक पुत्र लिमजी जो कि पुनाजी के जीवनकाल में ही मृत्यु हो गई थी अर्थात् पुनाजी की मृत्यु सन् 1990 में होने के पूर्व ही हो गई थी । ऐसी स्थिति में पुनाजी की मृत्यु होने के पश्चात् उनके विधिक वारिसों के रूप में जीवित चार पुत्रों अर्थात् रिविजनकर्तागण के नाम दिनांक 13.03.1990 को नामांतरण आदेश किया गया।

(4) अनावेदकगण के पिता लिमजी का निधन उपरोक्त उल्लेखानुसार मूल पुरूष पुनाजी के मृत्यु के पूर्व ही अर्थात् वर्ष 1990 में हो जाने के कारण अनावेदकगण मूल पुरूष पुनाजी की पोती होने के नाते उनके वारिस के रूप में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। तत्संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य तथा विधि के इस प्रश्न को दृष्टिगत नहीं रखा कि वर्ष 2005 के पूर्व हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत पुत्रियो, पोतियों आदि को पैतृक संपत्ति अथवा सहदायिक संपत्ति में किसी प्रकार का

कोई अधिकार नहीं था केवल पुरूष अथवा लड़के, पोते को ही पैतृक संपत्ति सहदायिक संपत्ति में अधिकार था।

(5) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में वर्ष 2005 के अधिनियम संख्या की धारा 3 के अंतर्गत धारा 6 को प्रतिस्थापित करते हुए पैतृक संपत्ति अथवा सहदायिक संपत्ति में लड़कियों, पोतियों आदि को पुरूष या पुत्रों के बराबर समान अधिकार प्रदान किये गये हैं, जिनका कि भूतलक्षी प्रभाव नहीं है। अथवा उक्त धारा में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान उपबंधित किया गया है कि पूर्व मृत पुत्र या उसके बच्चे को वर्ष 2005 के पश्चात ही पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होगा। प्रकरण में यह अविवादित तथ्य है कि अनावेदकगण के पिता लिमजी का मूल पुरूष पुनाजी के मृत्यु वर्ष 1990 के पूर्व ही हो चुकी थी। ऐसी दशा में अनावेदकगण को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होने से प्रश्नाधीन संपत्ति में कोई भी किसी भी प्रकार से वर्ष 1990 में हुए नामांतरण आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था। इसके बावजूद भी उक्त प्रकरण में स्पष्ट रूप से दर्शित् तथ्य व विधिक स्थिति भी स्पष्ट होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगभग 24 वर्ष के विलंब को क्षमा किया जाकर अनावेदकगण के आवेदन को स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है। जिससे न केवल विधि प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, अपितु आवेदकगण के लगभग 24-25 वर्षों से प्रश्नाधीन भूमि में चले आ रहे स्वत्व भी प्रभावित हुए हैं और जहां स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है वहां पर भी राजस्व न्यायालय को कोई अधिकारिता स्वत्व के संबंध में जांच करने की अथवा उसका निराकरण करने की अधिकारिता नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से अवगत होने के बावजूद भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदकगण के द्वारा प्रस्तुत अपील के संलग्न धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पत्र पर आलोच्य आदेश पारित करने में भूल की है जो निरस्ती योग्य है।

(6) आवेदकगण की ओर से प्रथम दृष्टया ही प्रकरण प्रचलित होने व अनावेदकगणों का मूल पुरूष पुनाजी अर्थात उनके दादाजी की संपत्ति में कोई अधिकार है अथवा नहीं के संबंध में महत्वपूर्ण न्यायदृष्टांत 2016 (1) एम.पी.एल.जे. 108 प्रकाश व अन्य विरूद्ध फूलवती व अन्य अवलोकनीय है। इसी तारतम्य में जब प्रश्नाधीन भूमियों में ही अनावेदकगणों का कोई हक व अधिकार अथवा स्वत्व उत्पन्न होता ही नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमियों पर मूल सहभूमिस्वामयों के मध्य यदि बंटवारा किया जाता है और उसमें अनावेदकगों को पक्षकार नहीं बनाया जाता है तो कोई भी विधिक त्रुटि नहीं की गई होकर तत्संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को आलोच्य आदेश पारित करने का विधित: अधिकारिता नहीं है।

4/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण मूल भूमिस्वामी के विधिक वारिस हैं, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा बटवारे की कार्यवाही में विधिक प्रकिया का पालन किये बगैर, उन्हें सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना ही अवैधानिक एवं अनियमित आदेश पारित किया गया है, इसलिए बटवारा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि चूंकि उन्हें बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बटवारा आदेश पारित किया गया था, इस कारण उन्हें तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी थी । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जानकारी के दिनांक से समय-सीमा में अपील प्रस्तुत की गई थी और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अवैधानिक एवं अनियमित आदेश को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी प्रकरण का गुण-दोष पर निराकरण किया जाना है, जहां आवेदकगण को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अनावेदकगण का प्रश्नाधीन भूमि पर हित निहित होकर वे हितबद्ध पक्षकार हैं, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा बटवारे की कार्यवाही में अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही आदेश पारित किया गया है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी अनावेदकगण को नहीं होना स्वाभाविक है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस सम्बन्ध में 1993 आर.एन. 183 किशनलाल तथा अन्य विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी म.प्र.तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :-

> ''परिसीमा-आरंभ होने का बिंदु-प्रभावित पक्षकार को सूचना नहीं दी गई और उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया-वाक्य ''आदेश की तारीख'' -अर्थ-''आदेश की जानकारी की तारीख'' के रूप में अर्थान्वयन करना और पढ़ना होगा ।
> ''शब्द तथा वाक्य- वाक्य ''आदेश की तारीख''- अर्थ-प्रभावित पक्षकार को सूचना नहीं दी गई और उसकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया- वाक्य ''आदेश की तारीख'' का ''आदेश की जानकारी की तारीख'' के रूप में अर्थान्वयन करना और पढ़ना होगा ।''

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित प्रतिपादित उपरोक्त न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । अत: आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क आधारहीन होने से निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-6-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर